

पत्र संख्या-11/आ०नी०-II-02/2019 सा०प्र०.....

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

जय शंकर प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्वद (सिपाही भर्ती), पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद, पटना।
निबंधक, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना।
सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना।

पटना-15, दिनांक.....

विषय :- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा बिहार राज्य हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति की सूची में समावेशन के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार पुनर्गठन के पश्चात् उत्तरवर्ती बिहार हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-225 दिनांक-16.01.2007 द्वारा अंग्रेजी भाषा में परिचारित की गई है। पुनः सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-696 दिनांक-14.01.2016 के द्वारा अनुसूचित जनजाति की सूची का हिन्दी रूपान्तरण सहित परिचारित किया गया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-12016/06/2020-एस सी डी (आर एल सैल) दिनांक-28.08.2020 द्वारा संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 दिनांक-17.12.2002 के द्वारा बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति की सूची की प्रविष्टियों में कतिपय जातियों का समावेशन किया गया है। समावेशित जातियों की सूची अंग्रेजी एवं हिन्दी पाठ के साथ लोकहित में इस पत्र के साथ संलग्न कर परिचारित किया जा रहा है। विभागीय परिपत्र संख्या-225 दिनांक-16.01.2007 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

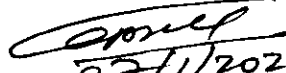
(जय शंकर प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-11/आ०नी०-II-02/2019 सा0प्र0.1125 पटना-15, दिनांक-27/1/2021

प्रतिलिपि—महालेखाकार, बिहार पटना/सभी विश्वविद्यालय/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/ सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग/सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/सचिव, उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्न सहित सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

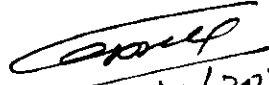
अनु०—यथोक्त।


27/1/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-225 दिनांक-16.02.2007 के साथ संलग्न अनुसूचित जाति की सूची की प्रविष्टि में समावेशन :-

1. प्रविष्टि-6 :- चमार, मोची, चमार-रबिदास, चमार-रविदास, चमार-रोहिदास, चर्मरकार
Chamar, Mochi, Chamar-Rabidas, Chamar-Ravidas,
Chamar-Rohidas, Charmarkar
2. प्रविष्टि-9 :- धोबी, रजक
Dhobi, Rajak
3. प्रविष्टि-10 :-डोम, धनगड, बांसफोड़, धारीकर, धरकर, डोमरा
Dom, Dhangad, Bansphor, Dharikar, Dharkar, Domra
4. प्रविष्टि-20 :-पान, सवासी, पानर
Pan, Sawasi, Panr


22/1/2021